सं.14/3/2016-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 08 जून, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 16 जून, 2016 को आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित तीसरी बैठक (2016 श्रृंखला) की कार्यसूची अग्रेषित करना।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 जून, 2016 को प्रात: 11.00 बजे कक्ष संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने के लिए निर्धारित अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तीसरी बैठक बैठक (2016 श्रृंखला) की कार्यसूची की मदों की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित किए जाने के लिए निदेश हुआ है।

2. कृपया अपनी सुविधानुसार बैठक में उपस्थित होने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि

ह./-
(जी. श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], डीजीईपी, वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय**
4. **महानिदेशक, डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त**

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/ निदेशक (टीवीआर) के निजी सहायक।

ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 16.06.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) की कार्यसूची।

3.1(16) दिनांक 23.02.2016 को आयोजित बीओए की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

3.2.(16) मैसर्स आर्कियन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड – केएएसईजेड – ईओयू संयंत्र में जनित बेशी उर्जा की बिक्री गैर-ईओयू संयंत्र में करने के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स आर्कियन कैमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, ग्राम निकट हाजीपुर, तालुका – युज, जिला कच्छ को सल्फेट ऑफ पोटाश, लिक्विड प्रोमाइन, ग्रीन ब्रोमाइन और एंटसोमाइट का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए एक ईओयू की स्थापना करने हेतु दिनांक 16.12.2011 का एलओपी संख्या केएएसईजेड/100 प्रतिशत ईओयू/II/05/011-12/9874 जारी किया गया था। इस यूनिट ने ईओयू स्कीम के तहत दिनांक 29.05.2014 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था।

इस यूनिट ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अनुरोध किया है कि उनके ग्राही विद्युत संयंत्र से जनित बेशी विद्युत की बिक्री गैर-ईओयू को करने के लिए अनुमति मांगी है। एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.16 में यह विनिर्धारित है कि किसी ईओयू यूनिट के एक ग्राही विद्युत संयंत्र (डीजी सेट्स) से विद्युत का अंतरण किसी दूसरे को करने की अनुमति एफटीपी 2015-20 के परिशिष्ट 6ख के परिशिष्टों और एएनएफ में सेक्टर विशिष्ट शर्त में यथानिर्धारित के रूप में अनुमति है।

एफटीपी/एचबीपी के संगत प्रावधान : परिशिष्ट 6ख में यह उल्लेख किया गया है कि जब किसी विकास आयुक्त को बेशी विद्युत की बिक्री के लिए प्रस्ताव प्राप्त होती है, तो उसकी जांच राज्य सरकार, जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है, के साथ परामर्श करके की जाएगी। विकास आयुक्त किसी यूनिट के विद्युत सृजन के लिए अपेक्षित कच्चे माल एवं उपभोज्यों के मानकों को बीओए के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। परिशिष्ट 6ख का बिंदु संख्या 4 निम्नवत उद्धृत किया जाता है।

बिंदु संख्या 4. बेशी विद्युत की बिक्री :

ईओयू यूनिट द्वारा बेशी विद्युत की बिक्री के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :

(i) **इसके बाद जब किसी विकास आयुक्त को बेशी विद्युत की बिक्री के लिए प्रस्ताव प्राप्त होती है, तो उसकी जांच राज्य सरकार, जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है, के साथ परामर्श करके की जाएगी।**

(ii) **किसी एक ईओयू से बेशी विद्युत की बिक्री किसी अन्य ईओयू/एसईजेड को करने के लिए किसी तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। संबंधित एसईजेड के विकास आयुक्त, को इस आपूर्ति की सूचना लिखित रूप में देनी होगी और कच्चे माल की खपत का समुचित लेखा-जोखा आपूर्तिकर्ता यूनिट द्वारा रखा जाएगा। आयातित इनपुटों और उपभोज्यों का मूल्य आपूर्तिकर्ता यूनिट के एनएफई परिकलनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।**

(iiiv) **यूनिट संगत संविधि के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात डीटीए में बेशी विद्युत की बिक्री के लिए सहायक सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से अनुमति प्राप्त करेगा। डीटीए को विद्युत की बिक्री पर शुल्क इस संबंध में राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुरूप होगा।**

(iv) **अपनी वास्तविक जरूरत के साथ-साथ ईओयू यूनिट द्वारा पॉवर संयंत्रों का अनुमोदन करते समय विकास आयुक्त/अनुमोदन बोर्ड द्वारा समुचित ध्यान रखा जाएगा।**

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने उल्लेख किया कि तदनुसार उन्होंने अपने दिनांक 16.12.2015 के पत्र के तहत संबंधित प्राधिकारियों से उनके स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया और इसके प्रत्युत्तर में सहायक उत्पाद का आयुक्त, भुज ने अपने दिनांक 27.01.2016 के पत्र के तहत यह उल्लेख किया कि उनका कार्यालय ईओयू से बेशी बिजली की डीटीयू में बिक्री करने की अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं है। तथापि, यह उल्लेख किया गया कि घरेलू क्षेत्र में विद्युत क्लीयरेंज फेनवेट क्रेडिट नियम 2004 के नियम 6 के प्रावधानों का पालन करने के अध्यधीन होगा जिसमें लिए गए केनवैट क्रेडिट के आनुपातिक रिवर्सल का विनिर्धारण किया गया है और इलेक्ट्रिसिटी की घरेलू निकासी का विनिर्माण करने में अंतर्ग्रस्त है।

मुख्य इलेक्ट्रिकल निरीक्षक का कार्यालय गांधी नगर ने अपने दिनांक 16.02.2016 के पत्र के तहत अपने पत्र में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन अपना अनुमोदन दे दिया।

पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड राजकोट (पीजीवीसीएल) जो इस क्षेत्र में बिजली का संवितरण करने के कार्य में लगी राज्य सरकार का एक पीएसयू है, ने अपने दिनांक 09.03.2016 के पत्र के तहत यह उल्लेख किया कि मैसर्स आर्किमन कतिपय शर्तों के अध्यधीन अपने गैर-ईओयू को बेशी बिजली की बिक्री कर सकता है।

विकास आयुक्त की सिफारिशें : विकास आयुक्त ने अपना अभिमत व्यक्त कि कि इस प्रस्ताव का निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन किया जा सकता है :

(i) **केंद्रीय उत्पाद कर कार्यालय, पीजीवीसीएल और मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा अधिरोपित शर्तें लागू होंगी।**

(ii) **यूनिट सृजित विद्युत की एक तिहाई से अधिक विद्युत की आपूर्ति डी टीए को नहीं कर सकेगा। इस शर्त का अन्वीक्षण केंद्रीय उत्पाद का कार्यालय द्वारा किया जाएगा। तथापि, यूनिट द्वारा पॉवर जनरेशन एवं डीटीए को आपूर्ति का विवरण विकास आयुक्त का कार्यालय, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र को भेजना होगा।**

3.3(16) मैसर्स प्रयास वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड : केएएसईजेड – एलओपी का विस्तार अगले 5 वर्षों के लिए करने का प्रस्ताव

मैसर्स प्रयास वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड (एक 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई) को पूरी तरह से कटे-फटे, रंगहीन, पुराने सूत के बने ऊनी वस्त्रों/ब्लेंड्स पुराने सूत के बने सिंथेटिक फाइबर्स/ब्लेंड्स आदि का निर्यात करने के लिए दिनांक 02.01.2002 का अनुमति पत्र संख्या केएफटीजेड/100 प्रतिशत ईओयू/II/ए-112/01 प्राप्त है। इस यूनिट ने दिनांक 21.10.2004 को अपना उत्पादन शुरू किया और उसके एलओपी की वैधता को अगले तीन वर्षों अर्थात 31.08.2016 तक बढ़ाया गया था।

इस यूनिट ने संवर्धित एलओपी के पिछले एक वर्ष (सितम्बर 2015 से मार्च 2016 तक) के दौरान 140.60 लाख रुपये का निर्यात किया। इस यूनिट द्वारा इस अवधि के दौरान कुल 89.09 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। केएएसईजेड ने उल्लेख किया है कि इस यूनिट ने दिनांक 01.09.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिरोपित 80 प्रतिशत की शर्त की तुलना में कुल कारोबार के 77.78 प्रतिशत का वास्तविक निर्यात किया है और यह कि वे दिनांक 31.08.2016 तक 80 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

इस यूनिट पिछली ब्लॉक अवधि अर्थात 2009 से 2012 के लिए 1393.90 लाख रुपये का निर्यात किया था और 67.48 लाख रुपये का निवल विदेशी अर्जन (एनएफई) किया। इस यूनिट के एलओपी को दिनांक 30.09.2012 को निरस्त कर दिया गया क्योंकि ईओयू के लिए दिनांक 14.09.2012 को आयोजित चौथी बैठक में मैसर्स प्रयास वूलेन्स के एलओपी का वैधता का विस्तार 30.09.2012 से आगे करने की अनुमति नहीं दी।

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स प्रयास वूलेन्स के एलओपी के विस्तार करने के प्रस्ताव पर विगत में विचार किया गया था। इस बैठक के दौरान महानिदेशक, डीजीएफटी ने सूचित किया कि वाणिज्य विभाग के ईओयू प्रभार द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तिका में संशोधन करते हुए और एक सक्षमकारी प्रावधान निगमित करते हुए, जिसमें एलओपी के नवीकरण के इन मामलों पर विचार करने के लिए बीओए को अधिकार प्रदान किया गया था, दिनांक 26.08.2015 को एक सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2015-20 जारी की और तदद्वारा ईओयू से संबंधित प्रावधानों को मौजूदा एसईजेड के प्रावधानों के अनुरूप बना दिया गया। इस कारण, बीओए इन इकाइयों के एलओपी का विस्तार करने के मामले पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार करने के लिए अधिकारप्राप्त है। महानिदेशक ने यह भी उल्लेख किया कि जब किसी नई इकाई को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इन इकाइयों के एलओपी का विस्तार करने का मामला एकाधिकारिक स्थिति के रूप में उभर रहा है। बीओए ने यह नोट किया कि इस एकाधिकारिक स्थिति से बचने और घरेलू वस्त्र उद्योग पर इन इकाइयों के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सभी स्टेहकोल्डरों के साथ परामर्श करके एक सुविचारित नीति बनाने की जरूरत है। तथापि, चूंकि ऐसी नीति बनाने में समय लगेगा इसलिए यह निश्चय किया गया कि गुजरात स्थित मैसर्स प्रयास वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का विस्तार केवल एक वर्ष अर्थात 31 अगस्त, 2016 तक के लिए कर दिया जाए।

3.4(16) मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास नॉन-वोवेन ब्लैन्केट्स, वाइपर्स और क्लिपिंग, शोडीवूल ब्लेंड्स आदि का निर्यात करने के लिए दिनांक 01.10.1997 का एलओपी संख्या पीईआर :276(1997)/ईओबी(97 था। इस यूनिट ने दिनांक 24.10.2000 को अपना उत्पादन प्रारंभ किया और इसके एलओपी की संवर्धित वैधता 31.08.2016 को समाप्त हो गई।

इस इकाई ने संवर्धित एलओपी के अंतिम एक वर्ष (सितम्बर, 2015 से मार्च, 2016 तक) के दौरान 177.23 लाख रुपये का वास्तविक निर्यात और 9.72 लाख रुपय का डीम्ड निर्यात किया। यूनिट द्वारा इस अवधि के दौरान 145.87 लाख रुपये की निवल विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया। केएएसईजेड ने उल्लेख किया कि इस यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिनांक 01.09.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान अधिरोपित 80 प्रतिशत निर्यात की शर्त की तुलना में कुल कारोबार का 84.80 प्रतिशत वास्तविक निर्यात किया है।

इस इकाई ने 3698.66 लाख रुपये का वास्तविक निर्यात और 2144.20 लाख रुपये का डीम्ड निर्यात किया है और 1827.21 लाख रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा का अर्जन किया है। ईओयू के लिए बीओए ने अपनी दिनांक 27.08.2015 के आयोजित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) में एलओपी की वैधता एक वर्ष तक की अवधि अर्थात् 31 अगस्त, 2016 तक के लिए संवर्धित कर दी।

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स प्रयास वूलेन्स के एलओपी के विस्तार करने के प्रस्ताव पर विगत में विचार किया गया था। इस बैठक के दौरान महानिदेशक, डीजीएफटी ने सूचित किया कि वाणिज्य विभाग के ईओयू प्रभार द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तिका में संशोधन करते हुए और एक सक्षमकारी प्रावधान निगमित करते हुए, जिसमें एलओपी के नवीकरण के इन मामलों पर विचार करने के लिए बीओए को अधिकार प्रदान किया गया था, दिनांक 26.08.2015 को एक सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2015-20 जारी की और तदद्वारा ईओयू से संबंधित प्रावधानों को मौजूदा एसईजेड के प्रावधानों के अनुरूप बना दिया

गया। इस कारण, बीओए इन इकाइयों के एलओपी का विस्तार करने के मामले पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार करने के लिए अधिकारप्राप्त है। महानिदेशक ने यह भी उल्लेख किया कि जब किसी नई इकाई को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इन इकाइयों के एलओपी का विस्तार करने का मामला एकाधिकारिक स्थिति के रूप में उभर रहा है। बीओए ने यह नोट किया कि इस एकाधिकारिक स्थिति से बचने और घरेलू वस्त्र उद्योग पर इन इकाइयों के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सभी स्टेहकोल्डरों के साथ परामर्श करके एक सुविचारित नीति बनाने की जरूरत है। तथापि, चूंकि ऐसी नीति बनाने में समय लगेगा इसलिए यह निश्चय किया गया कि गुजरात स्थित मैसर्स प्रयास वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का विस्तार केवल एक वर्ष अर्थात 31 अगस्त, 2016 तक के लिए कर दिया जाए।

भाग-II

वर्ष 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	**जनवरी, 2016 से फरवरी, 2016 के महीने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत**	**एम ई पी जेड**
ख	**दिनांक 01.04.2016 से 31.05.2016 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत**	**एन एस ई जेड**
ग	**दिनांक 01.04.2016 से 31.05.2016 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत**	**वी एस ई जेड**